

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 02 मार्च, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी की 05 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4293/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 01 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी की न0पं0, धौरहरा की 04 परियोजनाओं एवं न0पा0प0, मोहम्मदी की 05 परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपद की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 09 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-435/2015/611/69-1-2015-6(एससीपी)/2015, दिनांक 20 मई, 2015 द्वारा कुल ₹0 109.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 54.54 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में जारी की गयी थी। उक्त परियोजनाओं में से न0पं0, धौरहरा की 04 परियोजनाओं हेतु ₹0 23.805 लाख की धनराशि द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में शासनादेश संख्या-369/2015/867/69-1-2016-6(एससीपी)/2015, दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा जारी की जा चुकी है। अतः उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित बजट की धनराशि से उक्त जनपद की न0पा0प0, मोहम्मदी की 05 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की ₹0 30.735 लाख (रुपये तीस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित कर लें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूझ से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्र. जोषा / कार्यका 318

क्रमशः.....2

6

31/3/18


593/2

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय करने से पूर्व परियोजनाओं को जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य मद/ योजना/कार्यक्रम से न तो स्वीकृत किया गया है और न वर्तमान में किसी अन्य मद/योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा कि स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा कार्यो के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियाँ में परिवर्तन आदि नहीं किया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन आदि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. उक्त धनराशि का प्रयोग उसी प्रायोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है, किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0 लखनऊ द्वारा विशेष संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि विल्ट (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भुवदीय,



(अनिल कुमार बाजपेयी)


विशेष सचिव।

संख्या- 74/2018/251(1)/69-1-2018 तदिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-७५/2018/251/69-1-18-6(एस0सी0पी0)/2015, दिनांक ०६ मार्च, 2018  
का संलग्नक।

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	लखीमपुर खीरी	न०पा०प०, मोहम्मदी	वार्ड नं० 02 में इस्लामाबाद में हरिहरपुर चौराहा से गुरेला रोड तक इण्टरलाकिंग रोड एवं यू टाइप नाली का निर्माण कार्य।	34.20	17.10
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 में इस्लामाबाद में ठाकुरी रैदास से भगतिन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं यू टाइप नाली का निर्माण कार्य।	8.25	4.125
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 में इस्लामाबाद में इन्द्रपाल रैदास के मकान से रामचन्द्र रैदास के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं यू टाइप नाली का निर्माण कार्य।	4.81	2.405
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 में इस्लामाबाद गली लालजी के मकान से नरेश रैदास के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं यू टाइप नाली का निर्माण कार्य।	3.22	1.61
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 02 में इस्लामाबाद में जी०आई०सी० कार्नेर केक पुलिया इस्लामाबाद तक इण्टरलाकिंग रोड एवं यू टाइप नाली का निर्माण कार्य।	10.99	5.495
				61.47	30.735

(रुपये तीस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ मात्र)।

१७/३/१८  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।